

पत्रावली के अन्तर्गत आने वाली  
 मूल दस्तावेजों की संख्या 25 की अन्तर्गत एक प्रार्थना-  
 पत्र 0-22, R-4 प्रकरण का पेश किया गया,  
 जो कि मूल दस्तावेजों में शामिल किया गया।  
 पत्रावली क्रमांक 0-22, R-4 में एक दिनांक  
 05/02/2018 को पेश है।

05/02/18

पत्रावली आज पेश हुई और द्वारा कार्य  
 स्थगित किया गया। पत्रावली  
 पुनर्निर्धार दिनांक 12/03/18 को  
 पेश हो जावे।

सत्यमेव जयते

12/3/18

पत्रावली आज पेश हुई और द्वारा कार्य  
 स्थगित किया गया। पत्रावली  
 पुनर्निर्धार दिनांक 16/4/18 को  
 पेश हो जावे।

16/05/2018

पत्रावली आज सत्रावली लोक अदालत सिविल  
 कोर्ट पर रखा गया। मूल दस्तावेज पत्रावली  
 में पत्रावली की अन्तर्गत, आधिकारिक सिद्धि के आदेश  
 किये अन्तर्गत अन्तर्गत आतमार्थ तस्वीलशर्त के अन्तर्गत  
 गयी। मूल दस्तावेज पत्रावली में आधिकारिक सिद्धि  
 आदेश के अन्तर्गत इस पत्रावली में आधिकारिक  
 सिद्धि के अन्तर्गत 212 R.T. Act का कोई कोई सिद्धि  
 नहीं है जो पत्रावली में अब कोई कोई सिद्धि  
 की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वतः पत्रावली  
 के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 दस्तावेज हैं।

सहायक कलेक्टर  
 (उपजज अदालत)  
 जे.पी. (चित्तौड़गढ़)